

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 16 / 2024

प्रार्थी-

राजस्थान सरकार जरिये
प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा।

बनाम

अप्रार्थी-

श्री रेवतसिंह पुत्र श्री कूपसिंह निवासी
लंगेरा जिला बाड़मेर, हाल माजिसा बर्तन
भंडार पचपदरा, जिला बालोतरा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :-

- अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
- अप्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 19.03.2025

- प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 19.09.2024 को श्री रामावतार पूनिया एवं रविन्द्रसिंह प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा, ने मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान मैसर्स माजीसा बर्तन भंडार जोधपुर रोड़ पचपदरा पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर अप्रार्थी श्री रेवतसिंह उपस्थित मौके पर 5 किलोग्राम के 2 सिलेण्डर एवं बिना आईएसआई मार्का के 04 छोटे सिलेण्डर भण्डारित किये हुए वक्त जांच पाया गया। जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार दिया गया है-

क्र. सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर में भरी हुई गैस का वजन
1.	0916020	HP	6.7 Kg	6.7 Kg	00 Kg
2.	002338	HP	6.6 Kg	6.6Kg	00 Kg


- मौके पर उक्त दुकान में पाये गये 5 किलोग्राम के 2 सिलेण्डर एवं बिना आईएसआई मार्का के 04 छोटे सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया। जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को मैसर्स चौधरी एच.पी. गैस एजेन्सी के मैनेजर श्री सताराम पुत्र लिखमाराम को सुपुर्दनामा पर सुपुर्द किया गया। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम,


जिला कलक्टर
बालोतरा

प्रार्थना पत्र /16/2024/प्रवर्तन निरीक्षक बनाम रेवतसिंह

1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात करने का आदेश फरमाया जावें।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया ।
4. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने कथन किया कि 5 लीटर के छोटे दो घरेलु गैस सिलेण्डर हैं, जो खाली थे। दुकान के सामने स्टाफ वाले रहते हैं और उनके खाना बनाने के लिए उपयोग करते हैं। मेरे द्वारा कोई व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जा रहा था। अतः उक्त सिलेण्डर मुझे वापिस दियाया जाये।
5. हमने सरकारी पैरोकार की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार ने प्रकट किया कि अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग लेते हुए पाये जाने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू सीज किये गये हैं, जो वर्तमान में गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक मैसर्स चौधरी एच.पी. गैस एजेन्सी के मैनेजर श्री सताराम पुत्र लिखमाराम को सुपुर्दगी पर दिये गये हैं। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7 के 1(सी) का उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। ऐसे में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।
6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे में आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तदधीन बनाये गये द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7 के 1(सी) का उल्लंघन में पाये गये उपरोक्त गैस सिलेण्डर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी बालोतरा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात की गई एवं सुपुर्दगी पर दी गई सामग्री घरेलु गैस सिलेण्डर मय द्रवीकृत गैस का निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही करें।
7. आदेश आज दिनांक 19.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(सुश्रील कुमार यादव)
जिला कलेक्टर, बालोतरा